सं.4/1/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता समाप्त किया जाना - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर किए गए विनिश्चय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि **01 जुलाई, 2017 से विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता समाप्त हो गया है।** केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह भत्ता इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4(2)/2008-ई.II(बी) के तहत स्वीकार्य था।

2. ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें भुगतान "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से किया जाता है। सशस्त्र बल कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।